

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सबनम कुमारी

बनाम

धनंजय चौधरी

2016 की विविध अपील संख्या

06.08.2025

(माननीय न्यायाधीश श्री पी. बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायाधीश श्री एस. बी. प्र. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या क्रूरता और परित्याग के आधार पर माननीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए तलाक के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी?

हेडनोट्स

उत्तरदाता-पति ने वैवाहिक विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है- पति-पत्नी लगभग सात वर्षों से पृथक् रह रहे हैं और यह दीर्घकालिक पृथक्करण वास्तव में उन्हें ऐसी स्थिति में ले आया है जहाँ वैवाहिक संबंध अब सुधार से परे हो चुका है। उनके पुनः साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, और ऐसा विवाह अब अप्रभावी हो चुका है तथा यदि इसे जारी रहने दिया जाए तो यह दोनों पक्षों के लिए अत्यंत कष्टदायक सिद्ध होगा। — पृथक्करण की वास्तविकता तथा सहजीवन को स्थायी रूप से समाप्त करने के उनके अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने बिना उचित कारण के निरंतर दो वर्षों से अधिक की अवधि तक उत्तरदाता-पति का परित्याग किया है। अतः उत्तरदाता-पति ने परित्याग का आधार सिद्ध कर दिया है। (कंडिका 7, 18)

तलाक की डिक्री प्रदान करते समय, पक्षकारों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का आकलन किए बिना, पारिवारिक न्यायालय ने उत्तरदाता-पत्नी के पक्ष में ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की स्थायी भरण-पोषण राशि प्रदान की। — अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दावा करने हेतु, संबंधित पक्ष द्वारा अपनी आय अथवा अन्य संपत्ति का समस्त विवरण प्रस्तुत करते हुए आवेदन किया जाना आवश्यक है। — अतः न्यायालय यह उचित समझता है कि केवल स्थायी भरण-पोषण की राशि के निर्धारण के प्रश्न पर विचारार्थ यह प्रकरण प्रधान न्यायाधीश को पुनः प्रेषित किया जाए। (कंडिका 20-25)

न्याय दृष्टान्त

जगबीर सिंह बनाम निशा, (2015) 9 आरसीआर (दीवानी) 873; ऋषिपाल बनाम लक्ष्मी देवी, (2009) 4 आरसीआर (दीवानी) 811; धरमपाल बनाम श्रीमती पुष्पा देवी, 2004 आरसीआर (दीवानी) 71; मेजर आशीष पूनिया बनाम श्रीमती निलीमा पूनिया; मंगयाकरासी बनाम एम. युवराज, (2020) 3 एससीसी 786; के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा, (2013) 5 एससीसी 226; के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता, (2014) 16 एससीसी 34; जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी, (2008) 10 एससीसी 497; जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार, (2021) 2 आरसीआर (दीवानी) 289; समर घोष बनाम जया घोष, (2007) 4 एससीसी 511; रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एससीसी 324; अदिति उर्फ मिठी बनाम जितेश शर्मा, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451; प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 3678

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; भारतीय दंड संहिता, 1860; शस्त्र अधिनियम, 1959; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक, क्रूरता, परित्याग, दहेज, अपूरणीय टूटन, स्थायी गुजारा भत्ता, वैवाहिक वाद, धारा 13(1), हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 25, हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 9, हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 24, हिंदू विवाह अधिनियम, परिवाद वाद, मानसिक क्रूरता, झूठा आरोप

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 30.04.2015 को प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा दीवानी विधि वाद संख्या 18 / 1998 / 203 / 2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री रंजन कुमार दुबे

उत्तरदाता की ओर से: श्री साकेत कुमार

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट्स बनाया गया:

अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 की विविध अपील सं. 97

=====

सबनम कुमारी, पति- श्री धनंजय चौधरी, पिता- मधुसूदन प्रसाद चौधरी, निवासी- ग्राम- बाजितपुर, डाकघर- बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी, वर्तमान में निवासी गांव- नीमचक हैदर, थाना- चक महसी, जिला-समस्तीपुर।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

धनंजय चौधरी पिता- स्वर्गीय रामनंदन चौधरी, निवासी -ग्राम- बाजितपुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-समस्तीपुर

.... उत्तरदाता/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजन कुमार दुबे

उत्तरदाताओं के लिए : श्री साकेत कुमार

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह

सीएवी निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

दिनांक : 06-08-2025

पक्षकारों की बातें सुनी गईं।

2. अपीलकर्ता-पत्नी (शबनम कुमारी) वैवाहिक मामला सं. 18/1998/203/2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 30.04.2015 के खिलाफ इस अपील में आई है, जिसके द्वारा उत्तरदाता-पति (धनंजय चौधरी) द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 का अधिनियम') की धारा 13(1) के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद की मांग करते हुए दायर की गई

याचिका स्वीकार कर ली गई है और तलाक दे दिया गया है, और उत्तरदाता को अपीलकर्ता को छह महीने की अवधि के भीतर स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में रु 2 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3. स्पष्ट रूप से, अपीलकर्ता का विवाह 14 जुलाई, 1991 को हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार उत्तरदाता के साथ संपन्न हुआ था। विवाह विधिवत पूरा हो गया था; हालाँकि, इस विवाह से कोई संतान नहीं हुई।

4. 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपनी याचिका में उत्तरदाता-पति का प्रतिवादित मामला यह था कि अपीलकर्ता के साथ विवाह तय की गई थी और दहेज का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ था और यह बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। विवाह के ठीक बाद, उत्तरदाता ने पाया है कि अपीलकर्ता का रवैया और व्यवहार उसके पति, सास, ससुर और अन्य ससुराल के सदस्यों के प्रति बहुत कठोर, उदासीन और निष्क्रिय है। अपीलकर्ता-पत्नी के अपने वैवाहिक घर में रहने की अवधि के दौरान, उसने उत्तरदाता-पति को कभी भी वैवाहिक दायित्व को पूरा करने और विवाहोत्तर सहवास करने की अनुमति कभी नहीं दी और विवाह के दो महीने बाद, अपीलकर्ता-पत्नी अचानक अपना वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई और उसके बाद उसने अपनी इच्छा के अनुसार और उत्तरदाता-पति की सहमति के बिना बार-बार अपने माता-पिता के घर जाने की आदत विकसित कर ली। इसके बाद अपीलकर्ता-पत्नी ने दिनांक 22.09.1994 को शिकायत मामला सं. 652/1994 भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए), 323,379,406 के तहत उत्तरदाता-पति और अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ यातना और दहेज की मांग के तुच्छ आरोप के साथ दायर किया है। अपीलकर्ता-पत्नी ने उपरोक्त शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि उत्तरदाता-पति ने दहेज की मांग के कारण अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। उत्तरदाता-पति उपरोक्त शिकायत मामले में पेश हुआ और अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। उपरोक्त शिकायत मामले में, विद्वत निचली न्यायालय के आदेश

पर, उत्तरदाता-पति अपने पिता के साथ बिदागरी के लिए अपीलकर्ता-पत्नी के माता-पिता के घर गया, लेकिन उन्हें अवैध रूप से कैद कर लिया गया, बेरहमी से मारपीट किया गया और उत्तरदाता-पति को उस खाली कागज पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके लिए उत्तरदाता-पति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 364, 365, 342 और अन्य संबंधित धाराओं और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत चक मेहसी थाना मामला सं. 44/1998 दायर किया है। यह आगे आरोप लगाया गया है कि 24.06.1998 को अपीलकर्ता-पत्नी कई अज्ञात व्यक्तियों के साथ उत्तरदाता-पति के निवास पर आई, कुछ घंटों तक रही और उसके बाद परिवार के सदस्यों पर काबू पाने के बाद उत्तरदाता-पति के घर में लूटपाट की, जिसके लिए अपीलकर्ता के पक्ष के खिलाफ बाजितपुर थाना मामला सं. 107/1998 दर्ज किया गया है। अपीलकर्ता के कार्यों/कुकर्मी ने उत्तरदाता के मन में बड़ी यातना और उत्पीड़न पैदा किया है। अपीलकर्ता ने बार-बार आवाज उठाई है कि उसे उत्तरदाता के साथ वैवाहिक जीवन जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह उसके साथ सभी प्रकार के संबंध तोड़ना चाहती है। इससे उत्तरदाता के मन में भारी पीड़ा और दुःख होता है और उसने पाया कि सर्वोत्तम संभव प्रेम और स्नेह देने के बावजूद, उसके, उसके माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अपीलकर्ता हमेशा उत्तरदाता के साथ शारीरिक संबंध बनाने से बचती थी जो उत्तरदाता के साथ एक गंभीर क्रूरता के अलावा और कुछ नहीं है। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता का सामाजिक जीवन और साथ छोड़ दिया है और मार्च, 1994 को अपने मायके चली गई। अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच वैवाहिक संबंध पहले से ही अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है और उनके वैवाहिक जीवन की बहाली की कोई उम्मीद नहीं है।

5. अपीलकर्ता-पत्नी उपस्थित हुई और 26.02.2005 को अपना लिखित बयान दर्ज किया जिसमें कहा गया था कि उसकी विवाह 14-07-1991 को उत्तरदाता से हुई थी, जिसमें अपीलकर्ता-पत्नी के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उपहार के रूप में रु 1 लाख मूल्य के घरेलू

सामान दिए थे। विवाह के बाद, अपीलकर्ता को परिवार के सदस्य से पता चला कि उसके पति की विवाह पहले सुधा कुमारी नाम की एक महिला से हुई थी, लेकिन बाद में, उसे उत्तरदाता-पति द्वारा जलाकर मार दिया गया था। अपीलकर्ता को यह भी पता चला कि उसके पति (उत्तरदाता) के आभा सिंह के साथ अवैध संबंध थे। अपीलकर्ता-पत्नी का आगे तर्क यह है कि उसकी विवाह के 10 से 15 दिनों के बाद, उसके पति, उसके भाई और भाई की पत्नी ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसके पिता से मोटरसाइकिल, वी. सी. आर. फ्रिज और 1 लाख रुपये नकद लाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे अपीलकर्ता-पत्नी के साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार करते थे और परिवार के सभी घरेलू काम करने के लिए मजबूर करते थे, ऐसा न करने पर वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे और भोजन और कपड़े देना बंद कर देते थे। अंततः 15-01-1992 को, अपीलकर्ता के पिता उसे अपने घर ले आए। सामाजिक दबाव के कारण, उत्तरदाता और उनके परिवार के सदस्य उसके पिता के घर आए और माफी मांगी और 14-07-1993 को विवाह की सालगिरह मनाने के उद्देश्य से बिदागरी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी दहेज की मांग नहीं छोड़ी। अपीलकर्ता-पत्नी 14-07-1993 को अपने ससुराल गई, लेकिन फिर से अपीलकर्ता को दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए प्रताड़ित किया गया। यह आगे तर्क दिया गया है कि कई बार, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था, और अंततः 18-08-1994 को दोपहर लगभग 2 बजे अपीलकर्ता-पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया, उसका सामान छीन लिया गया और उसे उसके वैवाहिक घर से घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता-पत्नी ने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए), 323, 379, 406 के तहत शिकायत मामला सं. 652/1994 दायर किया जिसमें उत्तरदाता को जेल भेज दिया गया था। उत्तरदाता-पति ने दबाव डालने के लिए अपीलकर्ता, उसके पिता और भाई के खिलाफ शिकायत मामला सं. 306/1998 दायर किया है जिसे बाद में चक मेहसी थाना मामला सं. 44/1998 के रूप में दर्ज किया गया था। उत्तरदाता-पति के भाई ने भी

दबाव डालने के लिए अपीलकर्ता पक्ष के खिलाफ बाजितपुर थाना मामला सं. 107/1998 दायर किया है। इसलिए अपीलकर्ता-पत्नी ने प्रार्थना की कि विवाह विच्छेद के लिए उत्तरदाता-पति द्वारा दायर याचिका का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

6. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों और सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने अपने पति के साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने उत्तरदाता-पति को वाद प्रस्तुत करने की तत्काल तिथि से कम से कम दो वर्ष पहले तक लगातार परित्याग किया है और तदनुसार अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत वाद पर निर्णय दिया गया है और तदनुसार पक्षों के बीच 14.07.1991 पर संपन्न विवाह क्रूरता और परित्याग के आधार पर विच्छेदित कर दिया गया था और उत्तरदाता-पति को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में रु 2 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। विद्वान परिवार न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित अपीलकर्ता-पत्नी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की।

7. क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक दिया गया है। आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और परित्याग के निम्नलिखित कृत्यों को सिद्ध माना गया था:-

क) क्रूरता:

(i) मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दंपति का विवाह लगभग सात साल पहले हुआ था। विवाह 14.07.1991 को हुआ था और वे 18.08.1994 से अलग-अलग रह रहे हैं।

(ii) यह स्वीकार किया जाता है कि पक्ष 18.08.1994 को अलग हो गए थे और अपीलकर्ता-पत्नी ने शिकायत मामला सं. 652/1994 का एक आपराधिक मामला दायर किया था।

(iii) अपीलकर्ता-पत्नी अपने लिखित बयान में दहेज की मांग या कथित क्रूरता के कारण दुर्व्यवहार का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दे पाई है और इसके अभाव में, यह अनुमान लगाया गया था कि अपीलकर्ता-पत्नी ने एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाया था और उत्तरदाता-पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराकर उन्हें अनावश्यक मुकदमेबाजी में घसीटा था।

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "जगबीर सिंह बनाम निशा", (2015) 9 आरसीआर (दीवानी) 873, "ऋषिपाल बनाम लक्ष्मी देवी", (2009) 4 आरसीआर (दीवानी) 811, "धरमपाल बनाम श्रीमती पुष्पा देवी", 2004 आरसीआर (दीवानी) 717, "मेजर आशीष पूनिया बनाम श्रीमती नीलिमा पूनिया"; "मंगयाकरासी बनाम एम. युवराज" (2020) 3 एससीसी 786, "के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा", (2013) 5 एससीसी 226 और "के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीथा" (2014) 16 एससीसी 34 में अभिनिर्धारित किया कि जीवनसाथी या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ निराधार आरोप लगाना और झूठी शिकायतें दर्ज करना दूसरे जीवनसाथी के प्रति क्रूरता के समान है और अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मामले में उत्तरदाता-पति और उसकी मां का बरी होना वास्तव में यह दर्शाता है कि उत्तरदाता-पति ने वास्तव में अपीलकर्ता-पत्नी के हार्यों वैवाहिक क्रूरताओं का सामना किया है।

(v) परिवार न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया कि दंपति लगभग सात वर्षों से अलग रह रहे हैं और इस लंबे अलगाव ने वास्तव में उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वैवाहिक बंधन अपूरणीय रूप से टूट चुका है। यह आगे अवलोकन किया गया कि दंपति के एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है और इस तरह की विवाह अब अव्यवहारिक है और यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाए तो यह पक्षकारों के लिए अत्यंत पीड़ादायक सिद्ध हो सकता है।

8. तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरदाता-पति क्रूरता का आधार साबित करने में सक्षम रहा है।

ख) परित्याग:

(i) परिवार न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-पत्नी का आरोप कि उसे दहेज की मांग के कारण वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया है, साबित नहीं हुआ है। उसने उत्तरदाता-पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोपों के साथ शिकायत मामला सं. 652/1994 दायर किया है। अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से उत्तरदाता-पति के पास लौटने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उसने विवाह के तीन साल बाद ही उत्तरदाता को छोड़ दिया था और सात साल की इस अवधि के दौरान, अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से उत्तरदाता-पति के पास लौटने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(ii) यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने संबंध को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया था और उत्तरदाता-पति के साथ नहीं रही। उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए 1955 के अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अलगाव का तथ्य, सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा, यह स्थापित करता है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने उत्तरदाता-पति को बिना किसी उचित कारण के लगातार दो साल से अधिक की अवधि के लिए परित्याग दिया है। इस प्रकार, उत्तरदाता-पति ने परित्याग का आधार साबित किया।

9. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई है।

10. अपीलकर्ता-पत्नी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय ने उत्तरदाता-पति द्वारा दायर तलाक याचिका को अनुमति देने में कानून और तथ्यों में गलती की है। विद्वान वकील ने आगे कहा है कि तलाक की याचिका को क्रूरता के आधार पर गलत तरीके से स्वीकार किया गया है, जबकि अपीलकर्ता-पत्नी के साथ उसके वैवाहिक घर में क्रूरता का व्यवहार किया गया था और उसने केवल उसके साथ हुई क्रूरता के संबंध में मामले

दर्ज करके और उत्तरदाता-पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में भी अपने कानूनी उपचारों का लाभ उठाया था, हालांकि अपीलकर्ता के खिलाफ इसे गलत तरीके से लिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता ने उत्तरदाता-पति को परित्याग कर दिया था, जबकि यह उत्तरदाता था, जिसने अपीलकर्ता-पत्नी को अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था।

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 12.04.2002 को, अपीलकर्ता-पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण और मुकदमेबाजी की लागत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे 14.12.2004 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके द्वारा 12.04.2002 से प्रभावी प्रति माह रु 1500/- का अंतरिम भरण-पोषण और अपीलकर्ता-पत्नी के पक्ष में रु 5000/- की मुकदमेबाजी लागत भी मंजूर की गई। भरण-पोषण के उक्त आदेश दिनांक 14.12.2004 को दीवानी पुनरीक्षण सं. 545/2005 में चुनौती दी गई थी। हालाँकि, 21.05.2005 को, जब मामले की सुनवाई हुई, तो न्यायालय कोई रियायत देने को तैयार नहीं था और इसलिए उत्तरदाता ने विद्वान अदालत के समक्ष आदेश दिनांक 14.12.2004 के खिलाफ एक समीक्षा/वापसी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ पुनरीक्षण याचिका वापस ले ली। 21.06.2005 को दं.प्र.सं. की धारा 151 के तहत दिनांक 14.12.2004 के आदेश को वापस लेने के लिए फिर से एक याचिका दायर की। विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीतामढ़ी ने आदेश दिनांक 11.07.2005 के माध्यम से आदेश दिनांक 14.04.2004 को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन भरण-पोषण की राशि और मुकदमेबाजी की लागत के भुगतान तक वैवाहिक वाद की कार्यवाही पर रोक लगा दी। उक्त आदेश दिनांक 11.07.2005 से व्यथित होकर, उत्तरदाता-पति ने इस न्यायालय के समक्ष दीवानी पुनरीक्षण सं. 1841/2005 दायर किया। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त पुनरीक्षण आवेदन को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया ताकि विवाह के टूटने के मद्देनजर

न्यायालय को सूचित किया जा सके कि क्या वे आपसी तलाक के लिए सहमत थे। अपीलकर्ता-पत्नी अपने वकील के माध्यम से पेश हुईं लेकिन अपीलकर्ता की सहमति के बिना, उसके वकील ने सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्ष इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपसी तलाक के लिए याचिका दायर करेंगे कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। इसलिए यह निर्देश किया गया था कि विवादित आदेश को अंतिम आदेश तक स्थगित रखा जाएगा जब उपरोक्त समझौते के अनुसार एक डिक्री पारित की जानी है और ऐसा समझौता कभी दायर नहीं किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने दीवानी पुर्नावलोकन सं. 143/2006 दायर किया। इस न्यायालय की एक सह-पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि दीवानी पुर्नावलोकन विचारणीय नहीं थी और अपीलकर्ता को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण या धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता के सवाल के संबंध में उचित मंच के समक्ष संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। विवाह विच्छेद के लिए दायर वैवाहिक मुकदमे की एकतरफा सुनवाई हुई, जिसमें उत्तरदाता द्वारा कुछ झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसके आधार पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 30.04.2015 का आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था।

12. हमने अपीलकर्ता, उत्तरदाता के विद्वान वकील को सुना है और पेपर-बुक के साथ-साथ विवादित निर्णय का भी अध्ययन किया है।

13. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है: "क्या परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दिए गए तलाक के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?"

14. "जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी", (2008) 10 एस. सी. सी. 497 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:.

"24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में शक्ति का प्रयोग कर रहा था और इसलिए यह न्यायालय के लिए न केवल कानून के प्रश्नों बल्कि तथ्य के प्रश्नों पर भी विचार करने के लिए खुला था। यह स्थापित कानून है कि एक अपील मुकदमे की निरंतरता है। इस प्रकार एक अपील मुख्य मामले की पुनः सुनवाई है और अपीलीय न्यायालय पूरे साक्ष्य का "मौखिक और दस्तावेजी" रूप से पुनः मूल्यांकन, पुनः विश्लेषण तथा पुनरावलोकन कर सकता है और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आ सकता है।

25. हालाँकि, साथ ही, अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है, बल्कि वह बाध्य भी है, कि वह मौखिक साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखें। यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारण अदालत के पास गवाहों के व्यवहार को देखने का एक लाभ और अवसर था और इसलिए, विचारण अदालत के निष्कर्षों को आम तौर पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के पास मूल न्यायालय के समान ही शक्तियां हैं, लेकिन उनका प्रयोग उचित देखभाल, सावधानी और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। जब निचली अदालत द्वारा तथ्य का निष्कर्ष मुख्य रूप से मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन पर दर्ज किया गया है, तो इसे तब तक हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य के मूल्यांकन में विचारण अदालत का दृष्टिकोण गलत, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत या अनुचित न हो।

15. इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-ए) के अर्थ के भीतर क्रूरता की अवधारणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार", (2021) 2 आरसीआर (दीवानी) 289 के मामले में, निम्नानुसार अवलोकन करके समझाया गया है:-

"10. मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति या पत्नी के कहने पर विवाह विच्छेद पर विचार करने के लिए, मानसिक क्रूरता ऐसी होनी चाहिए कि वैवाहिक संबंध को जारी रखना संभव न हो। दूसरे शब्दों में, पीड़ित पक्ष से इस तरह के आचरण को माफ करने और अपने जीवनसाथी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सहिष्णुता की सीमा एक दंपति की दूसरे दंपति से भिन्न होगी और अदालत को पृष्ठभूमि, शिक्षा के स्तर और पक्षों की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कथित क्रूरता पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर विवाह विच्छेद को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है..."।

16. "समर घोष बनाम जया घोष", (2007) 4 एस. सी. सी. 511 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरणात्मक मामले दिए जहां मानसिक क्रूरता का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों पर करना होगा।

"85. मार्गदर्शन के लिए कभी भी एक समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम मानव व्यवहार के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझते हैं जो 'मानसिक क्रूरता' के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं। बाद की

कंडिकाओं में बताए गए उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

(i) पक्षों के पूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, व्यथा और कष्ट जो पक्षों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं बनाती है, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानकों के भीतर आ सकती है।

(ii) पक्षों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन के व्यापक मूल्यांकन पर, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए यथोचित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(iii) केवल उदासीनता या स्नेह की कमी क्रूरता नहीं हो सकती, भाषा की बार-बार अशिष्टता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासीनता और उपेक्षा इस हद तक पहुँच जाए कि यह दूसरे जीवनसाथी के लिए विवाहित जीवन बिल्कुल असहनीय हो जाए।

(iv) मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। लंबे समय तक दूसरे के आचरण के कारण एक जीवनसाथी में गहरी पीड़ा, निराशा, हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(v) जीवनसाथी को प्रताड़ित करने, असुविधाजनक बनाने या दयनीय बनाने के उद्देश्य से अपमानजनक और अपहेलनात्मक व्यवहार का एक निरंतर क्रम।

(vi) एक जीवनसाथी का लगातार अनुचित आचरण और व्यवहार जो वास्तव में दूसरे जीवनसाथी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस व्यवहार और परिणामी खतरा

या आशंका की शिकायत की गई है बहुत गंभीर, पर्याप्त और ठोस होनी चाहिए।

(vii) निरंतर निंदनीय आचरण, जानबूझकर की गई उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक दयालुता के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है या परपीड़क आनंद प्राप्त होता है, भी मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, स्वामित्व-भाव से कहीं अधिक होना चाहिए, जो नाखुशी और असंतोष का कारण बनता है और भावनात्मक अशांति मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आधार नहीं हो सकती है।

(ix) केवल मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़े, वैवाहिक जीवन का सामान्य दैनिक खटपट, जो प्रतिदिन की जीवनचर्या में स्वाभाविक रूप से घटित होती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(x) वैवाहिक जीवन की समग्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और कुछ वर्षों की अवधि में कुछ छिटपुट घटनाओं को क्रूरता नहीं माना जाएगा। दुर्यवहार काफी लंबी अवधि के लिए निरंतर होना चाहिए, जहां संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि जीवनसाथी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्ष को अब दूसरे पक्ष के साथ रहना बेहद मुश्किल लगता है, तो यह मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xi) यदि कोई पति बिना चिकित्सीय कारणों के और अपनी पत्नी की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी के ऑपरेशन करवाता

है और इसी तरह यदि पत्नी चिकित्सीय कारण के बिना या अपने पति की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी या गर्भपात कराती है, तो जीवनसाथी का ऐसा कार्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी दोनों में से किसी का भी विवाह से बच्चा न पैदा करने का एकतरफा निर्णय क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiv) जब लम्बी अवधि तक निरंतर पृथक्करण बना रहा हो, तो यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक संबंध अब सुधार से परे हो चुका है। विवाह एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित होने के बावजूद एक काल्पनिक बात बन जाती है। ऐसे मामलों में उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके, कानून विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है..."

17. इस न्यायालय ने दिनांक 12.12.2024 के आदेश के माध्यम से दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि दोनों पक्ष 1998 से अलग रह रहे हैं और अपीलकर्ता रु 30 लाख की राशि के लिए एकमुश्त निपटान के लिए तैयार है और इस न्यायालय के निर्देश

के अनुसरण में अपीलकर्ता और उत्तरदाता दोनों ने अपनी संपत्ति और देनदारियों के विवरण दाखिल किए हैं।

18. जारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्तरदाता-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) में उल्लिखित आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री दिए जाने का आधार बनाया है।

19. परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, विद्वान परिवार न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाह के विच्छेद की डिक्री को सही ढंग से पारित किया है और हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि क्यों, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। निर्धारण के बिंदु का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

20. इस आदेश को समाप्त करने से पहले, यहां यह कहना उचित है कि तलाक की डिक्री देते समय, पक्षों की संपत्ति और देनदारियों का आकलन किए बिना, विद्वान परिवार न्यायालय ने उत्तरदाता-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 2,00,000/- (दो लाख रुपये) देने का आदेश दिया है, क्योंकि न तो अपीलकर्ता और न ही उत्तरदाता ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण आवश्यक प्रारूप में दाखिल किया है और न ही यह विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-पत्नी के पक्ष में रु2 लाख की स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करते समय इसकी आवश्यकता थी।

21. यहाँ 1955 के अधिनियम की धारा 25 का उल्लेख करना उपयोगी है, जो इस प्रकार है:

"धारा 25- स्थायी भरण-पोषण एवं निर्वाह: (1) इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली कोई भी न्यायालय, किसी डिक्री के पारित किए जाने के समय अथवा उसके पश्चात किसी भी समय, यदि पत्नी या पति (जैसा कि मामला हो) इस

प्रयोजन के लिए आवेदन प्रस्तुत करे, तो यह आदेश दे सकती है कि प्रतिवादी, अपीलकर्ता को उसके भरण-पोषण एवं निर्वाह हेतु एकमुश्त राशि या मासिक अथवा आवधिक राशि — जो आवेदक के जीवनकाल से अधिक की अवधि के लिए न हो — अदा करेगा; और न्यायालय, प्रतिवादी की आय एवं अन्य संपत्ति (यदि कोई हो), आवेदक की आय एवं संपत्ति, पक्षकारों के आचरण तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, जितनी राशि को उचित समझे, उतना आदेश दे सकती है। यदि आवश्यक हो, तो ऐसी राशि के भुगतान की सुरक्षा प्रतिवादी की अचल संपत्ति पर भार बनाकर भी सुनिश्चित की जा सकती है।

22. 1955 के अधिनियम की धारा 25 में उपयोग की गई भाषा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25 के तहत दावा उस आवेदन पर किया जाना चाहिए जिसमें उसकी अपनी आय या अन्य संपत्ति के बारे में सभी विवरण दिए गए हों। इसके अलावा दूसरे पक्ष को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

23. भरण-पोषण की राशि प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर है। न्यायालय को दोनों पक्षों की आय; विवाह के निर्वाह के दौरान आचरण; उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति; प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत खर्च; अपने आश्रितों को बनाए रखने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और कर्तव्यों; विवाह के निर्वाह के दौरान पत्नी द्वारा आनंदित जीवन की गुणवत्ता; विवाह की अवधि और ऐसे अन्य समान कारक जैसे कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थायी गुजारा भत्ता का अनुदान दोनों पक्षों की सामाजिक, वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद और **राजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एससीसी 324** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, **अदिति उर्फ मीठी बनाम जितेश शर्मा, (2023) एससीसी ऑनलाइस एससी 1451** में

रिपोर्ट किए गए मामले और *प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, 2024 एससीसी ऑनलाइस एससी 3678* में रिपोर्ट किए गए मामले के आलोक में पति या पत्नी पर आरोपित देनदारियों के बोझ का मूल्यांकन करने के बाद ही निर्देशित किया जाना चाहिए।

24. जैसा भी हो, 1955 के अधिनियम की धारा 25 में ही यह परिकल्पना की गई है कि पत्नी तलाक की डिक्री के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है। इसलिए, अदालत डिक्री के पारित होने के साथ पदकार्य-निवृत्त नहीं हो जाता है और उसके बाद भी गुजारा भत्ता देने की अधिकारिता रखता है।

25. तदनुसार, हम यह उचित एवं न्यायोचित समझते हैं कि इस प्रकरण को केवल स्थायी भरण-पोषण की राशि के निर्धारण के प्रश्न पर विचारार्थ माननीय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीतामढ़ी को पुनः प्रेषित किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलकर्ता-पत्नी एवं उत्तरदाता-पति को यह निर्देश दे कि वे अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विवरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *राजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एस.सी.सी. 324* में रिपोर्ट किए गए मामले, *अदिति उर्फ मीठी बनाम जितेश शर्मा, (2023) एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 1451* में रिपोर्ट किए गए मामले, तथा *प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, (2024) एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 3678* में रिपोर्ट किए गए मामले के निर्णयों के आलोक में प्रस्तुत करें। उनकी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विश्लेषण करने के उपरांत, अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह स्थायी भरण-पोषण के संबंध में उपयुक्त आदेश, निर्णय पारित किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पारित करे। दोनों पक्षकारों को उपर्युक्त प्रकरण के शीघ्र निष्पादन में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। यदि किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति रहती है, तो विधि के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाएगा।

26. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, एम.ए. सं. 97/2016 का निपटारा किया जाता है।

27. लंबित अंतरवर्ती आवेदन(आई. ए.), यदि कोई हो, तो निपटारा किया जाता है।

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-